DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com
S----------DATED----------

सरोजिनी नगर, रोहिणी और नेहरू प्लेस जैसे व्यावसायिक इलाकों को फायदा, सड़कों पर जाम कम होगा

डीटीसी डिपो-वर्कशॉप में पार्किंग बनेंगी

विशेष

बृजेश सिंह

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) अपने बस डिपो और वर्कशॉप में निजी वाहनों के लिए पार्किंग बनाएगा। डीटीसी ने ऐसी 41 जगहों को चिन्हित करके पार्किंग संचालन के लिए कंपनियों को निविदा के जरिए आमंत्रित किया है।

पार्किंग के लिए चिन्हित बस डिपो व वर्कशॉप नेहरू प्लेस, रोहिणी, नेताजी सुभाष प्लेस, सरोजिनी नगर जैसे भीड़भाड़ व व्यवसायिक गतिविधि वाले इलाकों से सटे हैं। यहां पार्किंग बनने से हजारों लोगों को फायदा होगा।

डीटीसी की कमाई : पार्किंग के लिए जिन 41 जगहों को चिन्हित किया गया है, वहां वर्तमान में बसों का परिचालन होता है। वहां पर कुल 1.07 लाख वर्गमीटर क्षेत्र पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। अगर यहां चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग बनी तो तो 10 हजार वाहन खड़े हो पाएंगे। वहीं सिर्फ दुपहिया के लिए बनाई गई तो 85 हजार से अधिक दुपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। कंपनियों को मासिक किराये के आधार पर यह जगह पार्किंग के लिए उपलब्ध होगी। इससे डीटीसी को 2.50 से तीन करोड़ रुपये के मासिक फायदा हो सकता है।

सुबह 9 से शाम 7 बजे टाइमिंग : डीटीसी के मुताबिक, पार्किंग की सुविधा सुबह 9 से शाम 7 बजे तक मिलेगी। दिन में बसें डिपो में नहीं रहती हैं। शाम 7 बजे के बाद बसें आनी शुरू होंगी तो पार्किंग की जगह खाली करनी होगी। इसलिए ज्यादा पार्किंग व्यावसायिक गतिविधि वाले इलाके, सरकारी कार्यालयों, मॉल व बाजार के आस-पास के चुने हैं। जैसे ओखला केंद्रीय वर्कशॉप के आस-पास ओखला औद्योगिक क्षेत्र, मंडी है। इसी तरह नेहरू प्लेस डिपो के आस-पास बड़ा कंप्यूटर बाजार है। सरोजिनी नगर, वजीरपुर, सुभाष प्लेस यह बाजार या व्यावसायिक गतिविधि वाले इलाके है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन

बस डिपो के अंदर निजी वाहनों के लिए सुविधा देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली सरकार बस डिपो की जमीन पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन व बैट्री स्वैपिंग केंद्र बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

पार्किंग की स्थिति व प्रस्ताव

01 लाख के करीब अधिकृत पार्किंग है एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए की मिलाकर

08 हजार के करीब चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा मिलेगी

41 बस डिपो व सेंट्रल वर्कशॉप डिपो में पार्किंग सुविधा देनी है

20 हजार के करीब वाहन आते हैं सरोजिनी नगर बाजार में प्रतिदिन। नेहरू प्लेस में 25 हजार

फैक्ट फाइल

1,12,401 टैक्सी हैं दिल्ली में

33,294 से अधिक बसें हैं

33,84,736 चार पहिया वाहन हैं

82,39,550 दुपहिया वाहन हैं

31 मार्च तक डीडीए की लैंड पूलिंग में पंजीकरण कराएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग पॉलिसी में अपनी संपति पंजीकृत कराने के लिए दिल्लीवासियों के लिए एक और मौका है। डीडीए ने डेडलाइन को फिर बढ़ाते हुए 31 मार्च कर दिया है। इससे पहले छठी बार डेडलाइन को अगस्त 2022 में 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 10 फरवरी 2023 ATED----------

मेरी कॉलोनी : दिल्ली : मेरा शहर

डिस्ट्रिक्ट पार्क में गंदगी और मलबा, जॉगिंग ट्रैक भी टूटा

मायापुरी फेज-2 के पार्क में आने वाले लोग हो रहे परेशान

■ एनबीटी न्यूज, मायापुरी

मायापुरी फेज-2 में बना डिस्ट्रिक्ट पार्क (सालवेज पार्क) में गंदगी व मलबे का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में सैर करने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी होती है। इतना ही नहीं पार्क में ट्रैक भी टूटे हुए है। लोगों ने बताया कि यह पार्क अन्य पार्कों के मुकाबले काफी बड़ा है। यह पार्क डीडीए का है। देखरेख के अभाव में पार्क अपनी पहचान खोता जा रहा है। इस समस्या को लेकर लोगों ने संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की है।

पार्क में गंदगी के कारण बहुत से लोगों ने यहां आना भी कर दिया बंद

संजय शर्मा ने बताया कि यह पार्क लाजवंती चौक के पास बना हुआ है। यहां पहले बहुत लोग सैर करने के लिए आते थे। लेकिन अब पार्क में गंदगी के कारण लोगों ने पार्कों में आना बंद कर दिया है। वहीं राजकुमार कनौजिया ने बताया कि इस पार्क को ए-श्रेणी में रखा गया है। इस पार्क को सुंदर बनाने के लिए 1.57 करोड़ की लागत की बात कही जा रही है। लेकिन पार्क को देखें तो अभी तक यहां पूरा काम नहीं हुआ है। उद्घाटन के बाद कुछ महीने तो पार्क में काम हुआ। लेकिन बीच में बंद कर दिया गया।

मलबे से उड़ती रहती है धूल-मिट्टी

राम,शीतल व आशा रानी ने बताया कि इस पार्क में दिल्ली कैंट, सागरपुर, नांगल राया, हरि नगर, मायापुरी और लाजवंती चौक से लोग सैर करने के लिए आते हैं। लेकिन देखरेख के अभाव में पार्क खराब होता जा रहा है।

पार्क के बाहर फुटपाथ भी टूटा

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 10 फरवरी 2023

DATED

जर्जर हो रहीं हैं सोसायटियां, नियमों में फंसा रीडिवेलपमेंट

सोसायटियों में लिफ्ट तक नहीं, न ही पार्किंग और अन्य सुविधाएं

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में कई साल पहले बनीं ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां मास्टर प्लान-21 में नियम तय होने के बावजूद रीडिवेलपमेंट नहीं करवा पा रही हैं। यह सोसायटियां दशकों पुराने नियमों के हिसाब से बनी हैं। ऐसे में न तो ये भूकंपरोधी हैं, न ही इनमें पार्किंग और अन्य सुविधाएं हैं। कई सोसायटियों में तो लिफ्ट तक नहीं हैं। कई पुरानी सोसायटियां अब कमजोर और जर्जर होती जा रही हैं।

कैसे बढ़ा ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों का दायरा

राजधानी में इस समय करीब 1250 ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां हैं। 1979 से पहले प्लॉट अलॉट होते थे। इसके बाद जगह की कमी हुई तो ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले शकुरपुर में यह बनी। इसके बाद 1983 में यमुना पार में तीन जगहों पर आईपी एक्सटेंशन, वसुंधरा और गीता कॉलोनी के अलावा पीतमपुरा, शालीमार बाग, रोहिणी और विकासपुरी में ग्रुप हाउसिंग के कलस्टर आए। इसके बाद द्वारका सब-सिटी इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ी।

क्या आती हैं समस्याएं

जब इन सोसायटियों को बनाया गया था तब एक्सपर्ट ने बताया था कि इनकी लाइफ 30 साल है। आईपी एक्सटेंशन सोसायटिज के फाउंडर सुरेश बिंदल ने बताया डीडीए ने भी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को 33 साल के लिए जमीन लीज पर दी थी। फ्री होल्ड का प्रोविजन था, तो लोग फ्री होल्ड करवाते रहे। इसके बाद मास्टर प्लान 2021 में रीडिवेलपमेंट का प्रावधान आया।

- 2021 के मास्टर प्लान में शामिल किए जाने के बावजूद रीडिवेलप नहीं हो पाईं सोसायटियां
- फ्लोर एरिया रेशियो के नियमों को लेकर है विवाद
- पुरानी सोसायटियां न तो भूकंपरोधी हैं, न ही इनमें पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं

सोसायटियों को 1.67 एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) अप्रूव्ड था। मास्टर प्लान-2021 में इन्हें बढ़ाकर एफएआर 2 किया गया। इसके अलावा रीडिवेलपमेंट के लिए 50 प्रतिशत एफएआर अधिक देने की बात थी, यानी एफएआर 3 हो गया। जानकारों के अनुसार अब यही विवाद की जड़ है। एजेंसियां नियमों को लागू नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से पुरानी बनी सोसायटियां अब कमजोर होती जा रही हैं।

सुरेश बिंदल के अनुसार एफएआर 2 के तहत सोसायटियों को रीडिवेलपमेंट करना मुश्किल है। इसमें समस्या यह है कि फ्लैट्स कम बनेंगे। वहीं एफएआर 3 में सोसायटियों में कुछ अतिरिक्त फ्लैट बन सकेंगे। इन फ्लैट्स से सोसायटियों को बनाने का खर्चा निकल सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्डरों के प्रपोजल आए हैं, जिनमें बिना खर्च के नई सोसायटियां मिल जाएंगी। लेकिन, यह प्लान जब एमसीडी में गया तो यह कहकर खारिज हो गया कि एफएआर-3 नहीं एफएआर-2 के तहत प्लान बनाइए।

'सोसायटियों को ही करना है रीडिवेलपमेंट, DDA सिर्फ नियम बता सकता है'

डीडीए अधिकारी के अनुसार रीडिवेलपमेंट का पूरा काम ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को ही करना है। डीडीए उन्हें नियम बता सकता है जिसके अनुसार उन्हें रीडिवेलपमेंट करना है। रीडिवेलपमेंट के बाद सोसायटियों में पर्याप्त पार्किंग, लिफ्ट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि के प्रावधान भी होंगे। सोसायटियों की मंजिल को एफएआर के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। उन्हें कुछ सोसायटियों से प्लान मिले हैं, उनमें कुछ संशोधन करने को कहा गया है।

डीडीए ने सितंबर 2019 में सोसायटियों का किया था सर्वे

डीडीए ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज के रीडिवेलपमेंट के लिए सितंबर 2019 में एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था। इस सर्वे में सोसायटियों से उनकी पूरी डिटेल मांगी गई थी। इस डिटेल के बाद सोसायटियों को रीडिवेलप करने का एक प्लान तैयार होना था। इस सर्वे में सोसायटियों से यहां रहने वाले परिवार, फ्लोर, ओपन स्पेस, एफएआर, पार्किंग स्पेस आदि की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इसके बाद यह काम अटक गया।